## प्रेस नोट
## जनपद – सोनभद्र
## दिनांक – 03.03.2026

- **सोनभद्र पुलिस की बड़ी कार्यवाही — टाटा डीसीएम वाहन संख्या OD17AA5980 से 85 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा बरामद-**
  **(अनुमानित कीमत लगभग ₹17 लाख, वाहन सहित कुल अनुमानित कीमत लगभग ₹37 लाख)**

- **□□ अन्तर्राज्यीय गांजा तस्करी का भंडाफोड़, 01 अभियुक्त गिरफ्तार-**

पुलिस अधीक्षक सोनभद्र **श्री अभिषेक वर्मा** के निर्देशन में मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) **श्री अनिल कुमार** के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी नगर **श्री रणधीर कुमार मिश्र** के पर्यवेक्षण में आगामी होली त्यौहार के दृष्टिगत **थाना चोपन पुलिस एवं एसओजी टीम** द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था।

दिनांक 03.03.2026 को समय करीब 01:15 बजे वाराणसी–शक्तिनगर मार्ग पर डाला की ओर से आ रही डीसीएम वाहन संख्या OD17AA5980 को रोकने का प्रयास किया गया, किन्तु चालक द्वारा वाहन न रोकते हुए तेज गति से सलखन की ओर भागने का प्रयास किया गया। पुलिस टीम द्वारा पीछा करते हुए उक्त वाहन को पटवध इंडियन पेट्रोल पम्प से लगभग 100 मीटर आगे रोककर नियमानुसार तलाशी ली गई।

तलाशी के दौरान वाहन में लदे शीशे के कबाड़ के पीछे छिपाकर रखे 04 प्लास्टिक बोरों में **कुल 85 किलो 300 ग्राम** नाजायज गांजा बरामद हुआ। बरामद गांजा की **अनुमानित कीमत लगभग ₹17 लाख** आँकी गई है। वाहन सहित कुल बरामदगी की अनुमानित कीमत **लगभग ₹37 लाख** है। अभियुक्त के कब्जे से एक मोबाइल फोन एवं नगद धनराशि भी बरामद की गई।

बरामदगी एवं गिरफ्तारी के आधार पर थाना चोपन पर **मु0अ0सं0 86/2026 धारा 8/20/27ए/29/60 एनडीपीएस एक्ट** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

- **गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण**

बंशीधर बेहेरा पुत्र रवि बेहेरा निवासी ग्राम कंडलीमुण्डा, थाना हण्डपा, जिला अंगुल (उड़ीसा)

SONBHADRA POLICE

## ➢ वांछित अभियुक्तगण-

02 व्यक्ति (नाम-पता अज्ञात)

---

## पूछताछ का संक्षिप्त विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वह उक्त वाहन का चालक है। दिनांक 02.03.2026 को उड़ीसा से शीशे का कबाड़ लादकर फिरोजाबाद जा रहा था। रास्ते में उड़ीसा के बौध बिहार बाजार में दो अज्ञात व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और वाराणसी तक गांजा पहुँचाने के बदले ₹30,000 देने का प्रस्ताव दिया। दोनों व्यक्तियों ने वाहन की तिरपाल खोलकर शीशे के कबाड़ के बीच चार बोरियों में गांजा छिपा दिया और वाराणसी में मिलने की बात कहकर चले गए।

---

## ➢ बरामदगी का विवरण-

1. 04 प्लास्टिक बोरों में कुल 85 किलो 300 ग्राम नाजायज गांजा (अनुमानित कीमत लगभग ₹17 लाख)
2. टाटा डीसीएम वाहन संख्या OD17AA5980 (अनुमानित कीमत लगभग ₹20 लाख)
3. 01 अदद मोबाइल फोन
4. नगद धनराशि

---

## ➢ गिरफ्तारी करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अखिलेश कुमार मिश्र, थाना चोपन, जनपद सोनभद्र।
2. उ0नि0 राजेश जी चौबे, प्रभारी एसओजी, जनपद सोनभद्र।
3. उ0नि0 रामज्ञान सिंह यादव, थाना चोपन।
4. हे0का0 अजय सिंह यादव, हे0का0 वीरेन्द्र कुमार सरोज, का0 सच्चिदानन्द मिश्रा, थाना चोपन।
5. हे0का0 सतीष पटेल, आरक्षी रितेश सिंह पटेल, आरक्षी चालक अजीत यादव मय एसओजी टीम।

SONBHADRA POLICE